



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1941 (श०)

(सं० पटना 539) पटना, मंगलवार, 9 अप्रील 2019

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

9 अप्रील 2019

एस० ओ० 87, दिनांक 9 अप्रील 2019—वाणिज्य-कर विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 7/2019—राज्य कर (दर) दिनांक 29 मार्च, 2019 जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में क्रमांक 505, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में—

- (i) तालिका में, क्रम सं० 1 के समक्ष कॉलम 2 में, शब्दों एवं अंक “के क्रम सं० 3” के स्थान पर “तालिका के क्रम सं० 3” पढ़ें;
- (ii) तालिका में, क्रम सं० 2 के समक्ष कॉलम 2 में, शब्दों एवं अंक “के क्रम सं० 3” के स्थान पर “तालिका के क्रम सं० 3” पढ़ें;
- (iii) क्रम सं० 2. में, स्पष्टीकरण (iv) के स्थान पर—
 - “(iv) ‘रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)’ का अभिप्राय: उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।
 - “(v) ‘फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)’ से अभिप्राय: किसी भवन के कुल फ्लोर क्षेत्रफल (सम्पूर्ण फ्लोर क्षेत्रफल) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।”

पढ़ें।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1210)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 अप्रैल 2019

एस० ओ० 87, दिनांक 9 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1210)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th April 2019

S.O. 87, Dated 9th April 2019— In the notification of the Commercial Taxes Department No. 7/2019-State Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 505, dated the 29th March, 2019, -

- (i) against Sl. No. 1, in column 2 of the Table, for the words, bracket and figure “serial No. (3)” read “serial number 3 in the Table”.
- (ii) against Sl. No. 2, in column 2 of the Table, for the words, bracket and figure “serial No. (3)” read “serial number 3 in the Table”.
- (iii) in Explanation, for serial no. (iv), read-
- (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.
- (v) the term “floor space index (FSI)” shall mean the ratio of a building’s total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.”

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 1210)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 539-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>